उद्यान में सूचना तकनीक के लिए स्कीम

यह राज्य प्लान स्कीम है। उद्यान विभाग की सूचना प्रोद्योगिकी अनुसार कई गतिविधियां इसके लिए सक्षम की जानी है और इसके लिए स्कीम में वर्णित उदेश्यों सहित कई प्रयास किये गये हैं। इसलिए इस स्कीम को वर्ष 2014–15 में रू0 100.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसे रू0 78.12 लाख संशोधित किया गया था। वर्ष 2015–16 के लिए रू0 100.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

i) विभाग के लंबी अवधि के उदेश्य

a) उद्यान गतिविधियों को ई–शासन के तहत लाना

b) उद्यान कार्यकमों का ओनलाईन कियान्वयन करना

ii) विभाग के मध्यम अवधि के उदेश्य (पांच वर्ष)

a) उद्यान विभाग को सूचना प्रोद्योगिकी में सक्षम बनाना

b) उद्यान गतिविधियों को ऑनलाईन करने के लिए कार्य शुरू करना

iii) वार्षिक उदेश्य एवं संभावित असर

a) उद्यान विभाग की वेबसाईट बनाना तथा इसे नियमित तौर पर अपडेट करना।

b) सरकार की विभिन्न स्कीमों की ऑनलाईन निगरानी करना

c) विभिन्न कार्यालयों में सूचना प्रोद्योगिकी के अमले द्वारा नियमित देख–रेख के कार्य करना

iv) रणनीति

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सहयोग से विभाग की विभिन्न गतिविधियों को ई–शासन के तहत लाना। केन्द्रिय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय बागवानी मिशन को होर्टनेट तथा सूक्ष्म सिंचाई कार्यकम को एम.आई नेट के माध्यम से कियान्वित करना। सूचना प्रोद्योगिकी यन्त्रों की देख रेख एवं कम्पयूटरीकरण का कार्य हाट्रोन के माध्यम से करवाया जायेगा।

वांछित आबंटन :

वर्ष 2015–16 के लिए रू0 100.00 लाख की राज्य सरकार से आवश्यकता है।

v) गतिविधि/योजना के प्रारम्भ होने की स्थिति में स्कीम को वापिस लेना

यह स्कीम निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यलयों के बीच त्वरित आवगमन का माध्यम बनेगी और राज्य के किसान विभाग के विभिन्न कार्यकमां संबंधी सूचना, फार्म तथा अन्य सामग्री ऑनलाईन प्राप्त करके योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे।

vi) स्कीम बन्द करने की स्थिति में नगदी प्रवाह की आवश्यकता

वेतन के लिए प्रत्येक माह धनराशि की आवश्यकता होगी जिसके लिए साल के प्रारम्भ में ही एक मुश्त स्वीकृति वांछित होगी। अन्य कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता होगी और जिसके लिए स्थिति अनुसार स्वीकृति वांछित होगी।

vii) रिपोर्टिंग प्रणाली/प्रारूप

सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जब–जब जरूरत होगी रिपोर्ट भेजी जायेगी। यद्यपि बजट उपयोग संबंधी रिपोर्ट ओन–लाईन उपलब्ध होगी।

viii) आन्तरिक/तृतोय पक्ष मुल्यांकन विधि

यह स्कीम अमले के वेतन तथा ढांचे के विकास के लिए है। आन्तरिक आडिट विभाग द्वारा किया जायेगा तथा स्कीम का आडिट प्रधान महालेखाकार द्वारा किया जायेगा।